



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048301



विक्रय दिलोख

विक्रय मूल्य : ल० 13,88,436/-
 बचत मूल्य : ल० 6,72,000/-
 लक्ष्य मूल्य : ल० 1,38,900/-
 पटना : विक्रय

सह विक्रय विवेक राम विक्रय उषा राम विक्रय लक्ष्य पुत्र राम
 अश्विन, निताली-पाम-दुसुफ नगर, बगियागड, पटना-
 बिनौर, लखौली व जिला लखनऊ जिल्हा आणि विक्रय वार

राम विक्रय



13-6-76

13-6-76

80

1386436

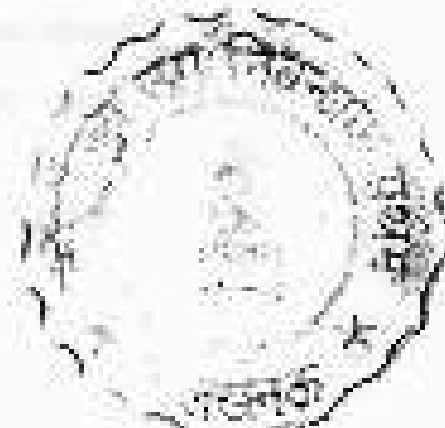
1386436

प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाणित किया जाता है कि

13-6-76

प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया जाता है कि





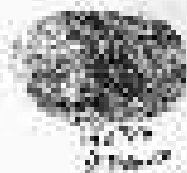
018302

-2-

गया है, एवम् राम सख्त-पुत्र नामका खेरी, निवासी-मिर्जापुर,
मिराठी, पोस्ट-नवगांव, जिला-बनारस, जहाँ उन्हें आगे जाता
वला गया है, से मूल निष्पादित किया गया।

यह कि विवेक साक्षान्त जवाबिक छातीनी रम् 1400 से
1413 कसली के आता छातीनी रम् 20 96 के अक्षरा

राम सख्त-पुत्र



प्राप्त की गयी है

15. 6. 6

मार्ग

24/7/6

77

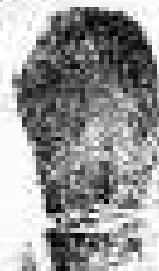
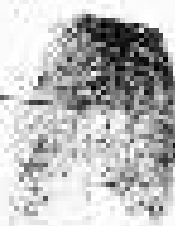
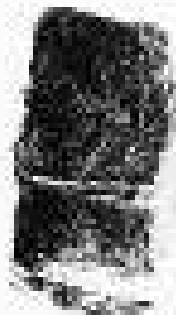
77

प्राप्त पत्र की मांग की गयी है
पत्र की हस्ताक्षरित प्रमाणित
मिठाई - मिठाई व अन्य वस्तुओं
व की - मिठाई व अन्य वस्तुओं
ले की - मिठाई व अन्य वस्तुओं
मिठाई - मिठाई व अन्य वस्तुओं
मिठाई - मिठाई व अन्य वस्तुओं
मिठाई - मिठाई व अन्य वस्तुओं

पत्र

पत्र

पत्र





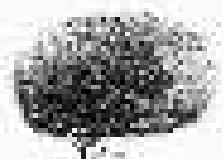
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

046304

- 4 -

तहसील व जिला-सखनऊ, का मालिक, कर्मिल व काबिल है,
उक्त खसरा संख्या-24 व 83 की भूमि विक्रेता को बिलासत में
मिली है और खसरा संख्या-86 की भूमि विक्रेता को पंजीकृत
वसीयत दिनांक 07.10.1998 के द्वारा प्राप्त हुई है। उपरोक्त
विक्रीत पण्यार्थिक सतीनी क्रम संख्या-96 व 127 के आधार पर

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048306



- 6 -

भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाका व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विज्ञापन के पूर्व कहीं बय, हिजा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि का उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्रवाई के

Handwritten signature





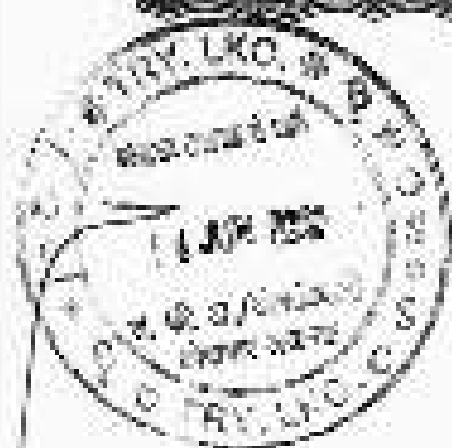
74303

- 2 -

अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्ब इत्यादि है।
 विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,
 हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विषय अन्तर्गत
 करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त राशियों के
 फासद्वारक रु। 13,88,436/- (समस्त तेरा लाख अठ्ठासी हजार

राजेश्वर



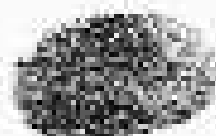


74303

- 8 -

सात सौ छत्तीस मात्र) को प्रशिक्षण में, जिसका कि उपरोक्त प्रस्ता
द्वारा विवेचना की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित
विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को
विक्रेता यही स्वीकार करता है, तदनुसार अन्त विक्रेता उक्त प्रस्ता
के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विनियम

20/1/55



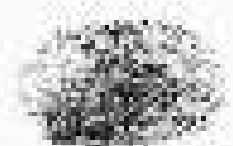


74307

- 9 -

को अन्त में अनुसूची को अन्तर्गत दिया गया है, जो कलाई में दिया है, एवं विप्रेता ने विक्रमशुदा भूमि का मीठे पर काष्ठा ब्रेता को बख्शी करा दिया गया है। अब ऊला आराजी पर विप्रेता तथा उराके कारिस्तान का कोई अधिपार नहीं है। विप्रेता ने विक्रमशुदा सम्पत्ति को अपने स्वाधिन के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया

राजकुमार





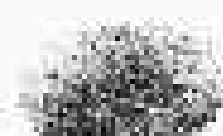
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-10-

व हमेशा के लिए क्रेता को इस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता
विक्रेतशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र
स्वामित्व व अधिपत्य व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं
उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन
बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई भाग कर सकेंगे। और यदि

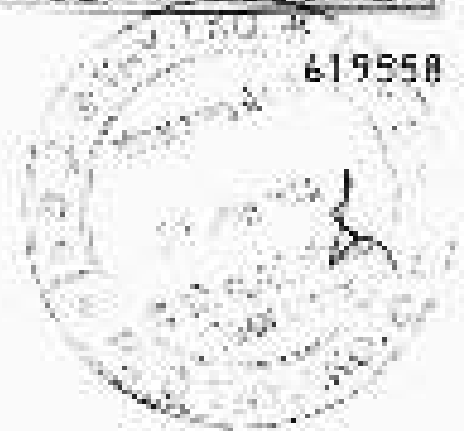
राम किशोर



1000Rs.



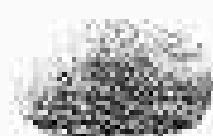
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-11-

विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में नुस्ते
के कारण या कानूनी अड़थक या कानूनी त्रुटि के कारण केता या
उसके वास्तितान निष्पादकगण हत्यादि के कषे या अन्याय या
स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वास्तितान, निष्पादकगण
इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मत

श्री २६/५/२०२०





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

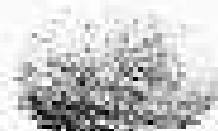


12 -

हर्जा व राणा, विवेका की पत्नी, अचल सम्पत्ति से जलिये अदालत
बसुल कर ले। उस स्थित में विवेका एवं उसके पारिवारिक हर्जा व
राणा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दालिल स्थापित
राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विवेका को कोई

21/8/59





- 13 -

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व या अगर कोई क्वाचा किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विब्रेला मुगलान व वहन करेगे, विब्रेला को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सुसुफ नगर, जगिदामऊ, आधनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है

राज विब्रेला

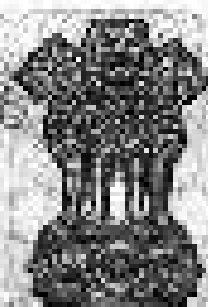


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 14 -

इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विज्ञात भूमि 0.611 हेक्टेयर की मालिकत रु० 6,72,100/- होती है। चूंकि विज्ञात मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विज्ञात मूल्य पर ही रु० 1,38,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

(Handwritten signature)

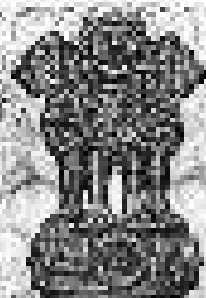


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि राष्ट्रीय पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4-988708



- 16 -

पर स्थित है। विक्रंता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विज्ञापन विलेख को निबन्धन का समस्त राज्य क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहकर यह विज्ञापन विलेख विक्रंता ने क्रेता के पक्ष में जिला दिवा लाकि सन्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

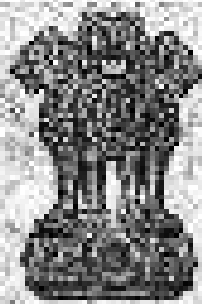
Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

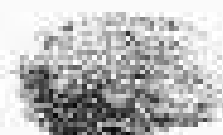


- 17 -

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित षट्षार्षिक खातीनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खातीनी क्रम सं० 96 के खासरा संख्या-24 रकबा 0.079 हेक्टेअर व खासरा संख्या-83 रकबा 0.251 हेक्टेअर, सत्यापित षट्षार्षिक खातीनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खातीनी क्रम सं० 127 के खासरा संख्या-86 रकबा 0.281 हेक्टेअर, कुल तीन किला व कुल रकबा 0.611 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बुसुङ नगर, बगियामऊ, परगना-बिजनीर, तहसील व जिला-सखनऊजिसकी जीहददी निम्न है।

राजेश्वरी



खसरा नं० 24

पूरुब : खसरा संख्या-18 व 19
पश्चिम : खसरा संख्या-23
उत्तर : खसरा संख्या-22
दक्षिण : खसरा संख्या-25

खसरा नं० 83

पूरुब : खसरा संख्या-84
पश्चिम : खसरा संख्या-14 व 15
उत्तर : खसरा संख्या-85
दक्षिण : खसरा संख्या-82

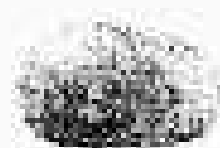
खसरा नं० 86

पूरुब : खसरा संख्या-87
पश्चिम : खसरा संख्या-11, 12 व 13
उत्तर : खसरा संख्या-88
दक्षिण : चक रोड

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु० 15,88,436/- (अथवा तेरह लाख अठ्ठासी हजार छान सौ छत्तीस मात्र) में से विक्रेता को रु० 5,00,000/- (अथवा पाँच लाख मात्र) के दो चेक क्रमशः चेक नं० 457570, 457569 व रु० 3,88,736/- (अथवा तीन

रामचंद्र



लाख अष्टाशी हजार ¹³⁷ ~~1000~~ सौ अत्तीस मात्र) द्वारा बैंक संख्या-
457563 सभी बैंक दिनांकित 17.06.2006.
जातीयता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ
विशेषता ने अंता से प्राप्त विवेक तथा विसयकी प्राप्ति विक्रता
स्वीकार करता है।

नोट:- सगस्त घेवों की संख्या काले पेन से लिखी गयी है।

[illegible]

दिनांक: 17.06.2006

मृत्यु

1.

1.
 Sir
 K. R. Ramesh Babu, IAS
 10-11-1972
 10-11-72

$$\frac{1}{2} \ln 4$$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

संक्षेपम्

100

(अमर शास्त्र)

सिविल फॉरेन, लखनऊ

मत्स्यविदायः

(सौख्यद अन्जर हुसैन)

एडमिशन

27

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

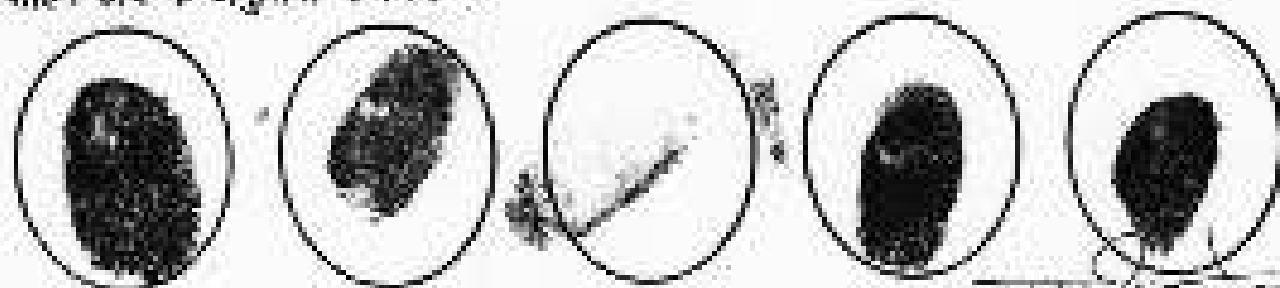
प्रत्युक्तता/विधेता का नाम व पता :- राजेश कुमार शर्मा, 10/10, 10/10, 10/10

10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



राजेश कुमार शर्मा

प्रत्युक्तता/विधेता/वेता के हस्ताक्षर

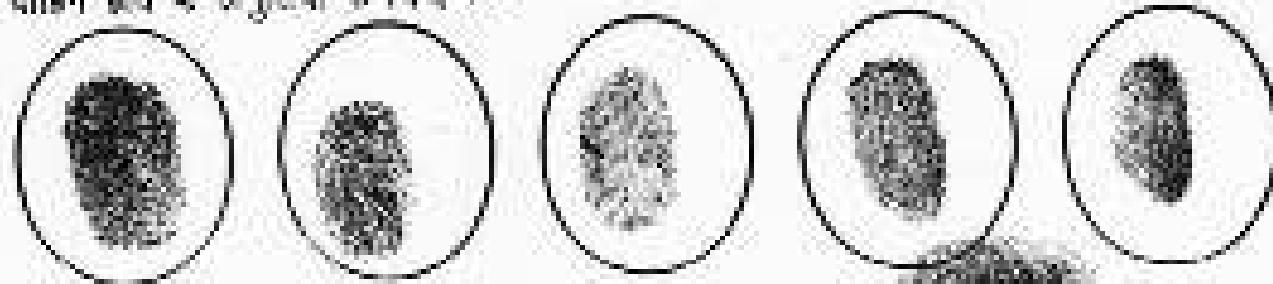
विधेता/वेता का नाम व पता :- राजेश कुमार शर्मा, 10/10, 10/10, 10/10

10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10, 10/10

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



राजेश कुमार शर्मा

लेकचोटी - न.जरी

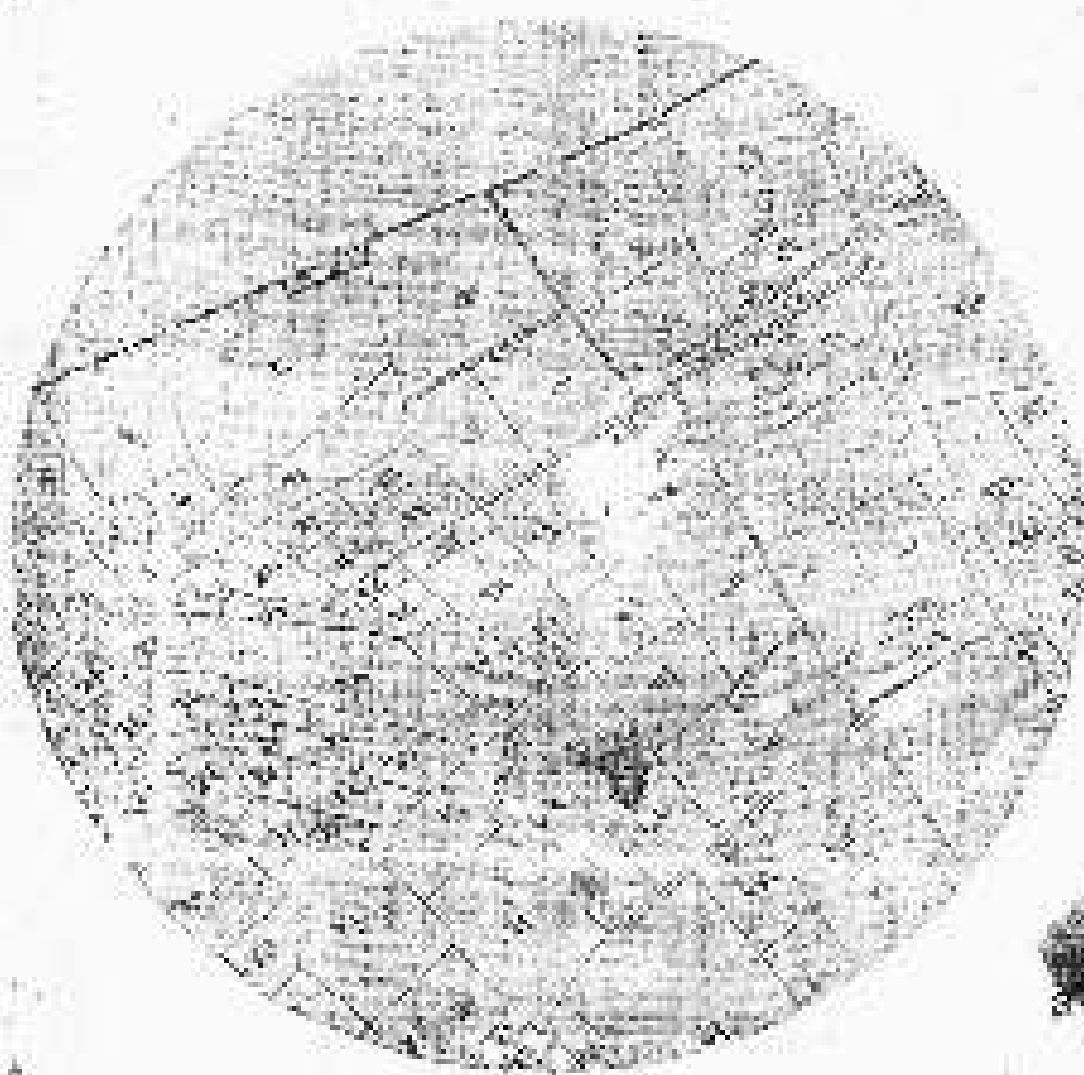
आगत :- कुठ्ठमनगर काशीनामिका नरवनास

अवकाश न. - ४६

चिकेला :- राग बीगौर $\frac{3}{4}$ गम उगडी

केला :- गमवरन $\frac{3}{4}$ नचका काशी

२०० बी. पी. २०० बी. न.जरी दिवात अगल पोरसपीतणे का दिवात.



२०० बी. पी. २०० बी.

आव विपरीत

पुस्तक सुख्या

वृष्ट

विक्रय

1946

को

संख्या

533

पर कम एख्या

146

विक्रय कर विना गया ।

~~1946~~

(प्रमाण)

प्रमाण

